

निकाय चुनाव में मतदान करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/सुश्री
पद पदस्थापन स्थानने निकाय चुनाव
2020 में नगरपालिका/ नगरपरिषद/नगरनिगम जिला
में वार्ड संख्या की भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में क्रमांक
पर अंकित अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिनांक को मतदान
किया।

दिनांक :

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

www.rajsevak.com

... यहाँ से काटें ...

निकाय चुनाव में मतदान करने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/सुश्री
पद पदस्थापन स्थानने निकाय चुनाव
2020 में नगरपालिका/ नगरपरिषद/नगरनिगम जिला
में वार्ड संख्या की भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में क्रमांक
पर अंकित अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिनांक को मतदान
किया।

दिनांक :

हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी

www.rajsevak.com